युवाओं व भाजपा को करीब लाएगा 'सेवा संकल्प'

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से पार्टी पूरे देश में चलाएगी एक माह का अभियान

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली, 9 सितंबर. उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के आगामी चुनाव, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के करीब 40 फीसदी युवा वोटर के बीच भाजपा अब नए सिरे से अपनी पैठ बनाने के लिए कमर कस चुकी है. यह रणनीति हालिया घटनाक्रमों और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के जवाब में देखी जा रही है.

पार्टी सूत्रों के अनुसार संगठन स्तर पर जहां पार्टी अध्यक्ष ने युवाओं के बीच सीधे संपर्क का रोडमैप तैयार किया है तो वहीं सत्ता के स्तर पर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को ग्राउंड स्तर पर पहुंच बढ़ाने का खाका खींचा है. दो तीन दिन पहले प्रधानमंत्री ने राज्यमंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के साथ हुई बैठक में स्पष्ट तौर पर जमीनी तानाबाना मजबूत करने को कहा था, इससे पहले पार्टी अध्यक्ष ने भी केंद्र के युवा मंत्रियों के साथ बैठक कर सत्ता और संगठन को साथ मिलकर आगे आने की बात कही थी. कुल मिलाकर भाजपा अब पूरी तैयारी के साथ जमीनी जुड़ाव की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने और उनके जन्मदिन के मौके पर महीने भर के 'सेवा संकल्प' अभियान होगी. बीजेपी अध्यक्ष ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक उपलब्धियों को भी अभियान का हिस्सा बताया. नवीन ने कहा कि हमारे युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनकर उभरे हैं. उन्होंने कहा कि आज 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' के माध्यम से भारत का युवा हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहा है. अभियान के दौरान सरकार की युवओं और महिलाओं पर आधारित योजनाओं को उपलब्धियों को साथ-साथ साझा किया जाएगा.

सुबह रक्त दान, शाम को आर्शीर्वाद का दीया

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की. उन्होंने बताया कि यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा. इस दौरान देशभर में सेवा और जनकल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन 'सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. अभियान के पहले दिन यानी 17 सितंबर को देशभर में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे. इसी दिन शाम 7 बजे 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम भी आयोजित होगा. इस पूरे कार्यक्रम का स्पष्ट उद्देश्य यह दर्शाना है कि पिछले 25 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने निष्ठा के साथ जनसेवा की है.

छात्र को नोटिस देने हिम्मत कैसे हुई ?

सीजेपी प्रदर्शन मामले में मजिस्ट्रेट पर भड़के सीजेआई

नई दिल्ली, 9 सितंबर. कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में एक छात्र को नोटिस जारी किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है.

ग्रेटर नोएडा के कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के छात्र अक्षत त्रिपाठी को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में नोटिस जारी किया था. नोटिस में छात्र से शांति बनाए रखने के लिए पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने को कहा गया था. इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा नोटिस क्यों जारी किया गया. सीजेआई ने सवाल किया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट ऐसा नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही छात्रों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा चुका है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ के सामने आया. वकील ने अदालत को बताया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस के अनुरोध पर यह नोटिस जारी किया था. वकील ने कहा कि नोटिस वापस ले लिया गया है, लेकिन इसे जारी किया जाना छात्रों को डराने की कोशिश जैसा है. अधिकारियों के मुताबिक, अक्षत त्रिपाठी को सीजेपी की अगुवाई में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के संबंध में नोटिस भेजा गया था.

1 सितंबर के आदेश का दिया गया हवाला

सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर को अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद नोटिस जारी होने को लेकर अदालत ने गंभीर आपत्ति जताई. पीठ में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल थे. अदालत ने साफ संकेत दिया कि उसके आदेश के बावजूद किसी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश को हल्के में नहीं लिया जाएगा.

एक नजर में

राजस्थान के162 निकायों में 63% मतदान

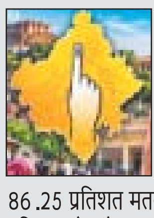

जयपुर. राजस्थान में पहले चरण में प्रदेश की 162 निकायों में कुल 57,52,280 मतदाताओं में से 36,55,311 ने मतदान किया, यानी कुल मतदान प्रतिशत 63.55 प्रतिशत रहा. छोटे कस्बों और नगर पालिकाओं में मतदान का उत्साह बड़े नगर निगम क्षेत्रों की तुलना में अधिक दिखाई दिया. डीग जिले की सीकरी नगर पालिका 86.25 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे आगे रही, जबकि पहाड़ी में 86.03 प्रतिशत और धौलपुर के सैंपऊ में 86.18 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए पर शिकंजा

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ जरूरी है. मामला सालबोनी जमीन हड़पने के मामले से जुड़ा है. राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच के दौरान रॉय कई सवालों के जवाब देने से बचते रहे हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जांच से जुड़े ट्रांसक्रिप्ट भी पेश किए. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ कर रही है.

दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट, दो लोगों की मौत

नई दिल्ली. दिल्ली के ओखला फेज-1 इलाके में कम्युनिटी हॉल के पास सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से हड़कंप मच गया. हादसे में दो लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है. ब्लास्ट की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया. आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. कई सिलेंडर एक गाड़ी में लादकर लाए गए थे. इन्हें उतारने के दौरान अचानक तेज धमाका हो गया.

अमेरिका ने ईरान के पांच तेल टैंकर उड़ाए

वाशिंगटन. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव अब खाड़ी क्षेत्र में और भयंकर होता दिखाई दे रहा है. अमेरिकी सेना ने ईरान के पांच तेल टैंकरों को निशाना बनाया. इसके कुछ घंटे बाद ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने की ओर 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया. जॉर्डन की सेना के मुताबिक, उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 18 मिसाइलों को मार गिराया, जबकि दो मिसाइलें आबादी से दूर इलाकों में गिरीं. ईरान ने पिछले दो दिनों में अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत को दो बार बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की.

भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा : विजय माल्या

सफाई देते हुए ईडी पर उठाए गंभीर सवाल

नई दिल्ली, 09 सितंबर. ब्रिटेन में रह रहे कारोबारी विजय माल्या ने खुद को भगोड़ा कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए सरकार और मीडिया पर निशाना साधा है.

माल्या ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट साझा कर अपनी स्थिति स्पष्ट की और दावा किया कि वह 1992 से यूनाइटेड किंगडम के स्थायी निवासी हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा कानूनी स्थिति के कारण वह ब्रिटेन से बाहर नहीं जा सकते. माल्या ने अपने खिलाफ चल रहे मामलों और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि ईडी ने उनकी अटैच की गई संपत्तियों और फंड में से 350 करोड़ रुपये से अधिक की रकम किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों को भुगतान के लिए जारी की थी. माल्या का कहना है कि उनकी संपत्ति और फंड अटैच किए जाने के कारण वह खुद भुगतान नहीं कर सके.

उमर ने गाया वंदे मातरम् तिलमिला उठे वेणुगोपाल

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 9 सितंबर. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का वंदे मातरम् गाते हुए वीडियो सामने आया है। श्रीनगर में 7 सितंबर को फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के दौरान वंदे मातरम् का गायन हुआ। करीब 3 मिनट 10 सेकंड तक चले इस पूरे गायन के दौरान उमर अब्दुल्ला खड़े रहे। उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि वंदे मातरम् का पूरा संस्करण उस बहुलतावादी और समावेशी सोच के अनुरूप नहीं है, जिसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के लिए अपनाया था।

नेहरू के विचारों का दिया हवाला: केसी वेणुगोपाल ने अपने बयान में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना आजाद, सरोजिनी नायडू और जे.बी. कृपलानी के विचारों और फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों से सम्मानपूर्वक आग्रह करती है कि वे स्वतंत्रता सेनानियों की समझ और फैसले का सम्मान करें।

विजय ने दिया टीवीके और कांग्रेस गठबंधन को नाम

विजय ने किया 'सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस' का ऐलान

चेन्नई, 9 सितंबर. तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम के नेतृत्व वाले गठबंधन को बुधवार को आधिकारिक नाम मिल गया. चेन्नई के पनैयूर स्थित टीवीके मुख्यालय में हुई अहम बैठक के बाद गठबंधन का नाम 'सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस' घोषित किया गया. गठबंधन के नाम में धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और जीत को प्रमुखता दी गई है. इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है. बैठक में टीवीके के साथ कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथैगल काची, मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता शामिल हुए.

कांग्रेस समेत चार दलों की भागीदारी: बैठक में कांग्रेस की ओर से माणिकम टैगोर, थरगई कथबर्ट और प्रवीण चक्रवर्ती शामिल हुए. वीसीके की ओर से पार्टी प्रमुख थोल थिरुमावलवन के अलावा वन्नी अरसु, रवि कुमार और सिंथनाई सेल्वन ने हिस्सा लिया.

वीजा फ्रॉड पर ट्रंप प्रशासन का शिकंजा

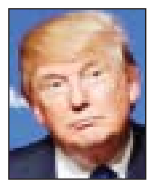

ग्रीन कार्ड फाइलिंग पर अमेरिका ने लगाई रोक

वांशिगटन, 9 सितंबर. अमेरिका में वीजा से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी कड़ी में अमेरिका ने भारतीय आईटी कंपनी की स्थायी रोजगार प्रमाणन आवेदन फाइलिंग पर रोक लगा दी है.

पर्म वह प्रक्रिया है, जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को स्थायी रूप से अमेरिका में काम करने के लिए स्पॉन्सर करती हैं. यह स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) की प्रक्रिया का पहला अहम कदम है.अमेरिकी श्रम विभाग के इंस्पेक्टर जनरल एंथनी डी एस्पोसिटो ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कॉग्निजेंट और क्लाउडेरा की स्थायी रोजगार से जुड़ी फाइलिंग को जांच के बाद रोक दिया गया है. यह जांच व्हाइट हाउस की फ्रॉड टॉक्स फोर्स और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर की गई. डी एस्पोसिटो ने सोशल मीडिया पर कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी कर्मचारियों के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. ट्रंप प्रशासन ने जुलाई में एच-1 बी और पर्म वीजा कार्यक्रमों में फर्जीवाड़े को लेकर बड़ी जांच शुरू की थी. अमेरिकी सरकार का कहना है कि इन कार्यक्रमों का गलत इस्तेमाल कर अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देने की कोशिश की जा सकती है.

> वीजा से जुड़े फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.पर्म का पूरा नाम प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट है. इसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को स्थायी नौकरी के लिए स्पॉन्सर करने की मंजूरी मांगती हैं. इस प्रोसेस में कंपनी को यह साबित करना होता है कि उस नौकरी के लिए कोई योग्य अमेरिकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है.कंपनी को यह भी दिखाना होता है कि विदेशी कर्मचारी को नौकरी देने से अमेरिकी कर्मचारियों की सैलरी या काम करने की स्थिति पर बुरा असर नहीं पड़ेगा.

तीसरी भाषा में छूट पर केंद्र करे विचार

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 9 सितंबर. सीबीएससी की तीन भाषा पॉलिसी को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया कि केंद्र कक्षा 6 के छात्रों को राहत देने पर विचार करे. राहत मिलने के बाद इन छात्रों को 10वीं में पहुंचने के बाद अनिवार्य तौर पर तीसरी भाषा की परीक्षा नहीं देनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6वीं तक राहत देने को कहा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएससी की तीन भाषा पॉलिसी के संदर्भ में अंग्रेजी की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाया. बेंच ने पूछा कि क्या अंग्रेजी को मातृ भाषा के बजाय विदेशी भाषा माना जाना चाहिए? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो आज ही राहत के मुद्दे पर अफसरों से बात करेंगे. अब 17 सितंबर को सुनवाई होगी.

सीबीएससी के फैसले को चुनौती : कक्षा 6 से 9 के छात्रों के लिए 2026-27 शैक्षणिक सत्र से तीसरी भाषा अनिवार्य करने के सीबीएससी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन और आनंद ग्रोवर ने मामले को अगले हफ्ते रखने का आग्रह किया, लेकिन कहा कि इसके बाद और स्थगन नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि माता-पिता इसे लेकर चिंतित हैं और बच्चों को परीक्षाओं में बैठना है. सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सॉलिसिटर जनरल से कम से कम कक्षा 6 के छात्रों को इस नीति में कुछ राहत देने पर विचार करने को कहा.

हस्तियों के ट्वीट

प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी, कंटेंट क्रिएटर और पॉडकास्ट होस्ट राज शमानी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक विचार साझा किया, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने लिखा, गहराई खोने का सबसे आसान तरीका है कि आप सतही समझ के लिए खुद को इनाम देते रहें.

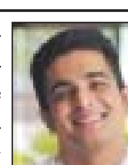

भारत के एक बेहद लोकप्रिय यूथ आइकॉन, यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक विचार साझा किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने एक जैन मुनि के साथ कुछ समय बिताया और उन्होंने मुझे कुछ बातें सिखाईं- माफ़ी सिर्फ़ एक दिखावा नहीं है, यह सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है. मोह-माया से दूर रहने का मतलब सबको छोड़ देना नहीं है. इसका मतलब है कि आप बिना किसी चीज़ से बंधे हुए सबको स्वीकार करें.

आज का इतिहास

- **1846 :** एलियस होवे को सिलाई मशीन का पेटेंट मिला.
- **1939 :** द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कनाडा ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की.
- **1966 :** भारतीय संसद ने पंजाब और हरियाणा के नए राज्यों के गठन को मंजूरी दी.
- **1974 :** अफ्रीकी देश गिनी-बिसाऊ को पुर्तगाल से औपचारिक रूप से स्वतंत्रता मिली.
- **1976 :** इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण कर उसे लाहौर ले जाया गया, जिसे बाद में सुरक्षित मुक्त कराया गया.

बीजेपी की झोली में आया कांग्रेस से सात गुना ज्यादा फंड

पाटियों ने बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के आय-व्यय का ब्योरा सौंपा

नई दिल्ली, 9 सितंबर. चुनाव आयोग को सौंपे गए चुनावी खर्च के ब्योरे के अनुसार, बीजेपी को बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कुल 1,472.8 करोड़ रुपये मिले.

15 मार्च, 2026 को पार्टी का बैलेंस 6,722.6 करोड़ रुपये था, जो 6 मई, 2026 को चुनाव खत्म होने पर बढ़कर 7,627.2 करोड़ रुपये हो गया. बीजेपी ने असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों पर कुल 160 करोड़ रुपये खर्च किए. इसमें पार्टी का केंद्रीय मुख्यालय और संबंधित राज्य और जिला इकाइयां भी शामिल हैं.

सबसे ज्यादा 96.3 करोड़ रुपये असम में खर्च : बीजेपी ने सबसे ज्यादा 96.3 करोड़ रुपये असम में खर्च किया. इसके बाद तमिलनाडु (51.6 करोड़ रुपये) और पुडुचेरी (11.9 करोड़ रुपये) का नंबर आता है. पार्टी के आम प्रचार पर लगभग 130.4 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि 29.6 करोड़ रुपये उम्मीदवारों को एकमुश्त भुगतान और उनके आपराधिक रिकॉर्ड के प्रचार पर खर्च हुए.

दो राज्यों के चुनावी खर्ज के आंकड़े नहीं हुए जारी: पश्चिम बंगाल और केरल के चुनाव खर्च के आंकड़े चुनाव आयोग ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किए हैं. असम के लिए बीजेपी के चुनाव खर्च के आंकड़ों के अनुसार, पार्टी ने आम प्रचार पर 76.7 करोड़ रुपये खर्च किए. इसमें पार्टी की केंद्रीय इकाई द्वारा खर्च किए गए 23.1 करोड़ रुपये और उम्मीदवारों पर खर्च किए गए 19.5 करोड़ रुपये शामिल हैं. असम में स्टार प्रचारकों की यात्रा पर 27.3 करोड़ रुपये, विज्ञापनों पर 37 करोड़ रुपये, प्रचार सामग्री पर 8.9 करोड़ रुपये और राज्य इकाई द्वारा अन्य खर्चों पर 2.3 करोड़ रुपये खर्च किए गए. उम्मीदवारों को कुल 19.4 करोड़ रुपये का एकमुश्त भुगतान किया गया.

भाजपा को मिले 1473 करोड़ रुपए, कांग्रेस के खाते में आए 207 करोड़

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस की चुनावी कमाई में बड़ा अंतर सामने आया है. चुनाव आयोग के सामने दाखिल खर्च और आय से जुड़े ब्योरे के मुताबिक, भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय को इस अवधि में करीब 1,472.8 करोड़ रुपये मिले. यह कांग्रेस की पांचों राज्यों और केंद्रीय इकाइयों की कुल शुद्ध प्राप्तियों 207.17 करोड़ रुपये से सात गुना से भी ज्यादा है. हालांकि, दोनों आंकड़ों की तुलना करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि भाजपा का उपलब्ध आंकड़ा केवल केंद्रीय मुख्यालय का है.

नाम सुधार सूचना

मै शोभित प्रकाश पिता श्री धनराज उम्र 18 वर्ष जन्मतिथि - 16.11.2007 निवासी वार्ड नं0-9 प्रमोदबन चित्रकूट तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0 सूचित करता हूँ कि मेरे दस्तावेजो जैसे जन्मप्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड एवं समग्र आई.डी. आदि में मेरा सही नाम शोभित प्रकाश दर्ज है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजो हाई स्कूल, हायर सेकेण्ड्री अंकसूची, प्रमाण पत्रों में भूलबस मेरा गलत नाम शोभित प्रकाश पाटकर दर्ज हो गया है। अतः मेरे शैक्षणिक दस्तावेजो में सही नाम शोभित प्रकाश दर्ज किया जाय, तथा भविष्य में मेरे शैक्षणिक दस्तावेजो में सही नाम शोभित प्रकाश लिखा, पढ़ा व माना जाय।

भवदीय
शोभित प्रकाश

नाम सुधार सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूलवस मेरे ड्राइविंग लाइसेंस MP18 20090066401 में मेरा नाम अनुपम सिंह बैंस लिखा गया है। जो गलत है.जबकि मेरा वास्तविक, सही नाम अनुपम बैस पिता विपिन बिहारी बैंस है. मेरे आधार कार्ड व अन्य सरकारी रिकॉर्ड मे उक्त नाम लिखा है. आज प्रकाशित दिनांक 10/09/2026 से सभी जगह, शासकीय रिकॉर्ड में अनुपम बैस पिता विपिन बिहारी बैंस लिखा पढ़ा वा जाना जावे. जो सही और सत्य है जो सर्वमान्य है.

नाम सुधार सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कक्षा 10वीं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के अंक सूची में मेरा नाम नतिक सिंह (NATIK SINGH) अनुक्रमांक 19193209 अंकित है. जबकि मेरे आधार कार्ड में नैतिक सिंह (NAITIK SINGH) दर्ज है। इसे ही सत्य माना व पढ़ा जाए, अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है।

NAITIK SINGH S/o SUSHIL KUMAR SINGH, ग्राम -डीह, पो0 उमरीगोविंदपुर तह0 त्योंथर, जिला -रीवा (म0प्र0) मोबाइल 7000868032

नाम सुधार सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूलवस मेरे ड्राइविंग लाइसेंस MP19R-2021-0216318 में मेरा नाम Jai Narayan Saket जय नारायण साकेत लिखा गया है। जो गलत है.जबकि मेरा वास्तविक, सही नाम जयनारायण साकेत (Jay Narayan Saket) pita Lal man Saket) है. मेरे आधार कार्ड व अन्य सरकारी रिकॉर्ड मे उक्त नाम लिखा है. आज प्रकाशित दिनांक 10/09/2026 से सभी जगह, शासकीय रिकॉर्ड में उक्त लिखा पढ़ा वा जाना जावे. जो सही और सत्य है जो सर्वमान्य है.

कार्यालय नगर परिषद् अमानगंज, जिला पन्ना (म0प्र0)

क्रमांक/1196 /लो.नि.शा./ई-निविदा/2026 — अमानगंज दिनांक- 09.09.2026

ई-निविदा आमंत्रण-सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों/ सप्लायरों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण बेवसाईट https://mptenders.gov.in देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
01	2026_UAD_534556_1	वार्ड क्रं0 04 में शौचालय निर्माण कार्य।	(1) 06 माह (2) 29.60 लाख	(1) 5000/- (2) 22200/-	09-09-2026 5.30pm to 05-10-2026, 5.30pm
02	2026_UAD_534844_1	वार्ड क्रं0 09 में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य। (विधायक विकास निधि)	(1) 03 माह (2) 12.17 लाख	(1) 2000/- (2) 9100/-	09-09-2026, 5.30pm to 28-09-2026, 5.30pm

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संसोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् अमानगंज, जिला-पन्ना (म0प्र0)

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं ऋषभ कुमार पाण्डेय पुत्र श्री ऋषिकेश पाण्डेय, उम्र 39 वर्ष निवासी प्रतापपुर, विशुनपुरा पोस्ट बासडीह (आर.एस.) जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, हाल पता ग्राम एवं थाना बैढ़न, जिला-सिंगरौली का हूँ। यह कि मैं घोषणा करता हूँ कि पहले मेरा नाम ऋषभ पाण्डेय (Rishabh Pandey) था, अब मैंने अपना नाम बदल कर ऋषभ कुमार पाण्डेय (Rishabh Kumar Pandey) कर लिया है, अब मैं आगे इसी नाम से जाना और पहचाना जाऊँगा।

शपथकर्ता
ऋषभ कुमार पाण्डेय

इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी, सिंगरौली
केन्द्रीय कार्यालय, डीडीआरसी भवन, बिलौंजी, बैढ़न, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

दिनांक- 09.09.2026

भर्ती हेतु विज्ञप्ति

क्र	पद का नाम	योग्यताएं	मानदेय (प्रतिमाह)
1	Hearing Assistant / Jr. Speech Therapist OR Speech & Hearing technician OR Ear-Mould Technician	Eligibility:-Diploma in Speech & Hearing with knowledge of hearing aids repair/ear mould making. OR Eligibility: Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) OR Eligibility: Diploma in Hearing Aid Repair and Ear Mould Technology (DHAREMT	16000/-

विशेषः- 1) उम्मीदवार आवेदन पत्र का प्रारूप (Bio Data Form) इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी सिंगरौली की वेबसाइट https://indianredcrosssingrauli.org से डाउनलोड कर सकते है अथवा उपरोक्त लिखे हुए कार्यालय पता से फॉर्म प्राप्त कर सकते है। 2) बायोडाटा फॉर्म के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करके ई मेल- resumeircs.singrauli@gmail.com पर भेजे एवं सभी दस्तावेज की हार्ड कॉपी बंद लिफाफे में उपरोक्त कार्यालय पता पर अवश्य रूप से अंतिम दिनांक 25 सितम्बर 2026 को सायं 06.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य है।

सचिव

न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 55/Wc Act (वि0)2026
शेवारी कुशवाहा व अन्य
- बनाम-
विजय राठोर व अन्य

सूचना-पत्र

उपरोक्त प्रकरण में आपको / सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राम सुजान कुशवाहा उम्र 24 वर्ष आत्मज श्री बलराम कुशवाहा श्रमिक का विजय राठोर का वाहन क्रमांक MP-35BA0378 में काम करते हुए दिनांक 25.05.2012 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई है व श्रमिक के नियोक्ता बीमा कम्पनी रिलाईन्स जनरल इंश्योरेंस कम्पनी ने क्षतिपूर्ति राशि जमा किया है धनराशि रु. 600000.00 /- (शब्दों में) छः लाख रुपये मात्र मृतक के आश्रितों में वितरण के लिए जमा कराया है।

उपरोक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति धन के वितरण हेतु सुनवाई दिनांक 29.09.2026 को नियत की गई है। अतः जो व्यक्ति/आप कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2 डी के अंतर्गत मृतक के आश्रित हों तो वह सुनवाई दिनांक 29.09.2026 को ठीक 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य नियमानुसार प्रस्तुत करें।

मृतक के आश्रित होने के प्रमाण हेतु स्थानीय मजिस्ट्रेट कलेक्टर या किसी शासकीय विज्ञप्ति अधिकारी द्वारा स्वयं का चित्र सत्यापित करवाकर पहचान हेतु प्रस्तुत करें।

यदि हो तो मृतक के नाबालिग बच्चों को भी साथ ले आवे। साथ ही मृतक के आश्रित का स्थानीय पंचायत या नगर पालिका का प्रमाण पत्र एवं दो गवाह भी ले आवे।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21.08.26 को जारी किया गया।

अदालत की मुद्रा

अभिषेक कुमार त्रिपाठी
पीठासीन अधिकारी
श्रम न्यायालय सतना म0प्र0

क्षेत्रीय कार्यालय
म.प्र. प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, रीवा (म.प्र.)
लोक सुनवाई की आम सूचना

सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ई.आई.ए.) अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 तथा यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 09 मई 2022 एवं office memorandom NO J-11015/387/2008 -IA.11 (M) dated 28.09.2011 के प्रावधानो के अनुसार मेसर्स श्रीमती मोनिका शुक्ला पत्नी श्री राकेश शुक्ला, हरहा स्टोन क्वेरी, माईनिंग आफ मिनरल्स, उत्पादन क्षमता 12001 घनमीटर/वर्ष पत्थर, रकवा 1.560 हेक्टेयर खसरा नं. 7/1 ग्राम हरहा, तहसील मउगंज, जिला मउगंज (म.प्र.) की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अनुक्रम मे लोक सुनवाई आयोजित कराने हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मे आवेदन किया गया है. उक्त परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं परियोजना के कार्यकारी सारांश हिन्दी व अंग्रेजी भाषा मे साफ्ट कापी सहित का अवलोकन (1) कार्यालय कलेक्टर मउगंज (2) कार्यालय जिला पंचायत, रीवा /मउगंज (3) कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रीवा / मउगंज (4) कार्यालय जनपद पंचायत मऊगंज जिला मउगंज (5.) कार्यालय ग्राम पंचायत -हरहा, तहसील-मउगंज, जिला-मउगंज (म.प्र.) (6) क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई-5, अरेरा कॉलोनी, रविशंकर नगर, भोपाल (7) मुख्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई 5 अरेरा कालोनी, भोपाल एवं (8) क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एच.आई.जी. 190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.) मे कार्यालयीन दिवसों के दौरान कार्यालयीन समय में किया जा सकता है तथा इसे बोर्ड की अधिकृत बेवसाइट www.mppcb.nic.in पर भी, आनलाईन अवलोकित किया जा सकता है। जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त परियोजना के पर्यावरणीय संबंध में कोई सुझाव, मत, अभिमत विचार, टीका टिप्पणी अनुशंसा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह इस लोक सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एच.आई.जी. 190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.) के कार्यालय मे लिखित रूप से कार्यालयीन समय मे प्रस्तुत की जा सकती है। इस परियोजना के लिये लोक सुनवाई दिनांक 14.10.2026 दिन बुधवार को प्रातः 11.00 बजे से माईनिंग लीज एरिया के पास ग्राम हरहा, तहसील मउगंज जिला मउगंज मे जिला कलेक्टर के द्वारा नामांकित प्रशासकीय प्रतिनिधि की उपस्थिति मे आयोजित की रही है, इस दौरान भी मत / अभिमत / सुझाव / विचार / टीका- टिप्पणी एवं अनुशंसा अथवा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिस्कार कर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें।